निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 136/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ममता पुत्री कानाराम निवासी मांगू मैम्बर की ढाणी, तहसील कालवाड, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजेश कुमार जाखड आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम।

2 सोहिल चौधरी पुत्र काना राम निवासी मांगू मैम्बर की ढाणी, तहसील कालवाड, जिला जयपुर।

3 विनय तम्बी पुत्र अवध बिहरी जाति महाजन निवासी सी–2 ए, कालवाड रोड, ताम्बी पैट्रोल पम्प के पास, जयपुर।

4 अवध बिहारी ताम्बी पुत्र श्री घनश्याम ताम्बी जाति महाजन निवासी गणेश कुंज, पीतल फैक्ट्री, जयपुर।

5 सौम्य ताम्बी पुत्र अवधि बिहारी जाति महाजन निवासी सी–2 ए, कालवाड रोड, ताम्बी पैट्रोल पम्प के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2024 ब उनवानी कानाराम व अन्य बनाम विनय ताम्बी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित है ।
2. श्री अशोक उपाध्याय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 176/2024 ब उनवानी कानाराम व अन्य बनाम विनय ताम्बी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक उपाध्याय ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 जो कि एक राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनकी राजनैतिक पहुंच के चलते वे ग्राम के लोगों से है कहते रहते है कि अप्रार्थी संख्या 1 से हमारी बातचीत हो गई है और हम आगामी पेशी पर प्रार्थी की हद तक स्टे खारिज नहीं होने देंगे ना ही मौके पर किसी प्रकार का कार्य करने देंगे। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य शैली पर कोई शंका नही है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के कहे कथनों से स्पष्ट है कि वह अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर उक्त प्रकरण छोटी छोटी तारीख पेशियां ली जा रही है। इसलिए प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 3 में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यशैली पर कोई शंका जाहिर नही की है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner